159

स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक..302../जि0रा0, दिनांक....01...../..03../2013

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकार लोक सूचना पदाधिकारी, किशनगंज।
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सह–लोक सूचना पदाधिकारी, किशनगंज।
सभी अंचल अधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, किशनगंज। जिला

विषय :: राज्य सूचना आयोग के साथ प्रधान सचिवों की दिनांक–31.01.2013 को हुई बैठक की कार्यवाही का अनुपालन करने के संबंध में।

महाशय,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–174(सु0)/रा0, दिनांक–14.02.2013 के माध्यम से प्राप्त विषयान्तर्गत बैठक की कार्यवाही की प्रति सुलभ अवलोकनार्थ संलग्न है। तदनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारों के स्तर पर मामलों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित कराने हेतु निदेश संसूचित किये गये हैं। पत्र में लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारों को सामयिक प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि लोक सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दायर वादों का निर्धारित समय सीमा (30दिन) में अनिवार्य रूप से निष्पादन सुनिश्चित की जाय तथा निस्तारित वादों से संबंधित मासिक प्रतिवेदन भी नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

अनु0:–यथोक्त।

1/3/13
ह0 अ0 स0
28/2/2013

विश्वासभाजन,

1/3
अपर समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक ~~302~~ 302/जि0रा0, दिनांक–01/03/2013

प्रतिलिपि:: जिला प्रबंधक आई.टी. किशनगंज, राजस्व विभाग के अंचल, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारों की सूची के साथ सूचनार्थ एवं किशनगंज जिला के बेवासाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/3/13
ह0 अ0 स0
28/2/2013

1/3
अपर समाहर्त्ता,
किशनगंज।

D/Barababu/ LETTER 2013/ADM/LETTER